GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No.1364
TO BE ANSWERED ON 25.11.2019

Quota for Divyang Students

1364. SHRI SHYAM SINGH YADAV:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the nature of physical disabilities considered under the reservation quota for the purpose of admission in educational institutions;

(b) whether the quota for the disabled is being filled up regularly in educational institutions in the country;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) whether there is any proposal to increase the percentage of quota for the disabled; and

(e) if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a): The schedule of the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, notified by the Ministry of Social Justice & Empowerment, contains the list of specified disabilities. As per Section 32 of the RPwD Act, 2016, the persons with benchmark disabilities i.e. disability of 40% or more, belonging to any of the specified disabilities mentioned in the Schedule are eligible for atleast five percent reservation in Government/ Government-aided Higher Educational Institutions.

(b) & (c): Instructions have been issued to the Higher Educational Institutions for ensuring reservation of 5 per cent of the seats for Divyang students. The University Grants Commission has informed that all the eligible students, under the RPwD Act, 2016, who apply for admission are given admission against the Divyang quota.

(d) & (e): The Ministry of Social Justice and Empowerment has informed that there is no such proposal under consideration.

*****

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1364
उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

दिव्यांग विघार्थियों के लिए आरक्षण कोटा

†1364. श्री श्याम सिंह यादवः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के उद्देश्य हेतु आरक्षण कोटा के अंतर्गत सुविचारित शारीरिक अशक्तताओं की प्रकृति क्या है**;**
(ख) क्या देश में शैक्षणिक संस्थाओं में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कोटा को नियमित रूप से भरा जा रहा है**;**
(ग) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं**;**
(घ) क्या दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कोटा का प्रतिशत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है**;** और
(ङ) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नि:शक्तजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट शारीरिक अशक्तताओं की सूची उपलब्ध है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा-32 के अनुसार जिन व्यक्तियों में बेंचमार्क अशक्तता अर्थात अशक्तता 40% या इससे अधिक है और उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित कोई अशक्तता है, तो वे सरकारी /सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में कम से कम 5% आरक्षण के पात्र हैं।

(ख) और (ग): दिव्यांग छात्रों के लिए 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के तहत सभी पात्र छात्र, जो प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, को दिव्यांग कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिया जाता है।

(घ) और (ड़.): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****